राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –306/2014/बीकानेर
2. अपील संख्या –307/2014/बीकानेर
3. अपील संख्या –308/2014/बीकानेर
4. अपील संख्या –309/2014/बीकानेर
5. अपील संख्या –310/2014/बीकानेर
6. अपील संख्या –311/2014/बीकानेर
7. अपील संख्या –312/2014/बीकानेर
8. अपील संख्या –313/2014/बीकानेर
9. अपील संख्या –314/2014/बीकानेर

राजस्थान इन्फोटेक मीडिया सर्विसेज प्रा0 लि0 बीकानेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.05.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त 9 अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 07.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–बी, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 5(B), 4(A)(A) एवं धारा 9(A) सपठित राज. मनो. एवं विज्ञापन कर नियम 1957 के नियम 18(BB) के अंतर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	क. नि. वर्ष एवं दिनांक	मनोरंजन कर	ब्याज	शास्ति
1	306/2014	434/मनो/बीका/11–12	जून–2010/30.05.2011	215620	100260	1000
2	307/2014	435/मनो/बीका/11–12	अगस्त–2008/03.08.2010	215620	100260	1000
3	308/2014	436/मनो/बीका/11–12	सितम्बर–2008/30.09.10	215620	100260	1000
4	309/2014	437/मनो/बीका/11–12	अक्टूबर–2008/26.10.2010	215620	100260	1000
5	310/2014	438/मनो/बीका/11–12	नवम्बर–2008/19.11.2010	215620	100260	1000
6	311/2014	439/मनो/बीका/11–12	सितम्बर–2008/30.09.2010	215620	100260	1000
7	312/2014	440/मनो/बीका/11–12	मई–2009/30.05.2011	215620	100260	1000
8	313/2014	441/मनो/बीका/11–12	जुलाई–2009/30.05.2011	215620	100260	1000
9	314/2014	442/मनो/बीका/11–12	अगस्त–09 से मार्च–10/28.07.2011	1724960	664184	8000

2. इन प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बीकानेर शहर में केबल सर्विस का व्यवसाय उक्त वर्णित फर्म द्वारा सम्पादित किया जाना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया। व्यवसायी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही देय कर का भुगतान किया गया। अतः व्यवसायी को कारण बताओं नोटिस समय–समय पर जारी किया गया। व्यवसायी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2005(140) एसटीसी 154 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम मैसर्स पूर्वी कम्यूनिकेशन एवं अन्य के निर्णय के अनुसार मनोरंजन कर का दायित्व केबल ऑपरेटर का निर्धारित किया गया है। निर्णय में केबल ऑपरेटर एवं सबकेबल ऑपरेटर तथा केबल सर्विस एवं केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा सब्सक्राईबर की परिभाषा का विश्लेषण किया गया है जिसके आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि कर का दायित्व अपीलार्थी फर्म का ही बनता है। आगे आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय ने सबकेबल ऑपरेटर का दायित्व नहीं माना है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मनोरंजन कर जमा कराने का दायित्व अपीलार्थी का ही माना एवं व्यवसायी द्वारा सब्सक्राईबर की सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं इस बाबत विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त अवधियों का कर निर्धारण सर्वोत्तम विवेकानुसार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यवहारी केबल नेटवर्क द्वारा आलौच्य अवधियों में संचालित केबल नेटवर्क हेतु सेवा कर (Service Tax) रूपये 15,98,987/– का भुगतान किया गया है इस आधार पर औसत मासिक राजस्व रूपये 10,78,065/– की गणना होती है एवं रूपये 100/– प्रति कनेक्शन के आधार पर मासिक कनेक्शन संख्या 10,781/– अनुमानित करते हुए 20/– रूपये प्रति कनेक्शन से कुल मनोरंजन कर एवं उस पर देय ब्याज को आरोपित किया गया। व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त अपीलाधीन आदेश द्वारा व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की गई, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा विचाराधीन उपरोक्त द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी अधिकारी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों एवं अपीलीय आदेश दिनांक 07.02.2013 का विरोध करते हुए कथन किया कि उसके द्वारा ब्रॉडकास्टर से सिग्नल रिसीव किये जाकर केबल ऑपरेटर (फ्रेन्चाईजी) के कन्ट्रोल रूम तक ही सप्लाई किये जाते हैं तथा केबल ऑपरेटर्स इन सिग्नल को अपने कन्ट्रोल रूम

लगातार.....3

से स्वयं की केबल द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते है। इस प्रकार केबल सर्विस उपभोक्तओं तक 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' उपलब्ध कराने का कार्य व्यवहारी द्वारा नहीं किया जाकर केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) द्वारा किये जाने से वे ही उक्त मनोरंजन के प्रभारी व्यक्ति होने के कारण मनोरंजन कर देयता का दायित्व भी इन्हीं केबल ऑपरेटर्स का है। अतः व्यवहारी का अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता का कोई दायित्व नहीं बनता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध करारोपण की कार्यवाही की जाने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कररते हुए,अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक तर्क के साथ कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए राजस्थान कर बोर्ड की सम्मानीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2252/2011 आदि वाणिज्यिक कर अधिकारी कोटा बनाम मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाइट प्रा0 लि0 कोटा निर्णय दिनांक 18.08.2017 का हवाला देते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक के आधार पर सब्सक्राईबर की संख्या निर्धारित की है जो उचित नहीं है क्योंकि सब्सक्राईबर की संख्या वह संख्या नहीं होती जो कि चैनल को एक विशिष्ट गारन्टी के रूप में दी जाती है। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा केबल ऑपरेटर से जो राशि वसूल की गयी थी उसका पूरा लेखा उनके बहियात में दर्ज है एवं इस संबंध में तत्कालीन समय में सर्विस टैक्स के लागू होने से प्रत्येक उपभोक्ता अनुसार सर्विस टैक्स जमा कराकर सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में रिटर्न भी प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें प्रतिमाह केबल ऑपरेटर के नाम सहित एवं उनसे प्राप्त की गई राशि का पूर्ण विवरण अंकित था। इन्होंने अनुरोध किया कि एकपक्षीय रूप से सब्सक्राईबर की संख्या मानते हुए जो कर निर्धारण किया गया है वह अपास्त कर उनके बहियात अनुसार पुनः गणना करने का भी निर्देश दिया जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा इस तर्क पर बल दिया कि चूंकि व्यवहारी कम्पनी द्वारा इसी मनोरंजन सेवा पर सर्विस टैक्स भी अदा किया है ऐसी स्थिति में एक ही सेवा पर दो कर आरोपणीय नहीं होने से इस आधार पर भी उन्हें निरस्त किया जाये।

7. राजस्व की ओर से बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की प्रति उपभोक्ता रूपये 20/– की दर से मनोरंजन कर अदा करने की देयता बनती है, तद्नुसार ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया है।

लगातार.....4

कथन किया कि स्वयं इसी अपीलार्थी से सबंधित प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सेल्स टैक्स (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 96/2012 मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015** पारित करते हुए करारोपण की पुष्टि की जा चुकी है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **31 टैक्स अपडेट 35 इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि0 एवं (2005) 140 एस.टी.सी. 154 (एस. सी.) स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम मैसर्स पूर्वी कम्युनिकेशन व अन्य** का हवाला देते हुए कथन किया कि इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी करारोपण की विधिसम्मत निर्णीत किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्वरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विभिन्न चैनलों से प्राप्त सिग्नल एवं स्वयं की चैनल के सिग्नल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु शहर में केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) के माध्यम से पहुँचाने संबंधी 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' का स्वत्वधारी (Proprietor) मानते हुए अधिनियम की धारा 4एए सपठित नियम 18बीबीबी के अन्तर्गत मनोरंजन कर अदायगी का दायित्व व्यवहारी का मानकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार करारोपण के पृथक–पृथक आदेश पारित किये गये हैं।

10. उक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह रहा है कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4एए के तहत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पर कर का आरोपण किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2005 (140) STC 154 State of West Bengal V/s Ms Purvi Communication & Others में यह अवधारित किया गया है कि मनोरंजन कर का प्राथमिक दायित्व केबल ऑपरेटर का है। इस तरह पूर्व में निर्णीत अपीलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह विधि स्थापित की जा चुकी है कि उक्त व्यवहारी एक MSO के रूप में कार्यरत होने के कारण अधिनियम की धारा 4एए के तहत कर अदा करने के दायित्वाधीन है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सेल्स टैक्स (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 96/2012 मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में दिनांक 08.05.2015** को निर्णय पारित करते हुए व्यवहारी कम्पनी की निगरानी को खारिज करते हुए माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गयी है जिसमें **स्काई मीडिया प्रा0 लि0 बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (2015) 5 वी.एस.टी. 96 आदेश दिनांक 16.02.2015** एवं **स्टेट वेस्ट बंगाल**

लगातार.....5

बनाम पूर्वी कम्युनिकेशन प्रा0 लि0 (2005) 140 एस.टी.सी. 154 (एस.सी) के निर्णयों का हवाला देते हुए MSO को प्रोपराईटर की परिभाषा के अधीन माने जाने का आदेश करते हुए ऐसे मामलों में व्यवहारी का कर दायित्व माना है।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर कर का दायित्व व्यवहारी का माना जा चुका है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरणों पर अक्षरशः चस्पा होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

12. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी का यह तर्क कि सर्विस टैक्स एवं मनोरंजन कर का आरोपण दोहरा करारोपण हैं, भी सारहीन रहा गया है क्योंकि उक्त बिन्दु पर करारोपण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत माना जा चुका है, फलतः इस बिन्दु पर तर्क अस्वीकार किये जाते हैं।

13. उक्त सभी प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, उनमें करारोपण करते समय सर्वोत्तम विवेक के आधार पर सब्सक्राईबर की संख्या निर्धारित की है। अपीलार्थी का यह कथन विचारणीय है उसके द्वारा केबल ऑपरेटर से जो राशि वसूल की गयी थी उसका पूरा लेखा उनके बहियात में दर्ज है एवं इस संबंध में तत्कालीन समय में सर्विस टैक्स के लागू होने से प्रत्येक उपभोक्ता अनुसार सर्विस टैक्स जमा कराकर सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में रिटर्न भी प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें प्रतिमाह केबल ऑपरेटर के नाम सहित एवं उनसे प्राप्त की गई राशि का पूर्ण विवरण अंकित था, जिसके आधार पर सब्सक्राईबर की संख्या की गणना की जावे। उक्त सभी विवादित अवधियों के कर निर्धारण आदेश में एक समान सब्सक्राईबर की संख्या मानकर कर निर्धारण किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बिन्दु पर समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर व्यवहारी की लेखा पुस्तकों, विभागीय जांच एवं कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में प्रस्तुत किये गये रिटर्न, जिसमें केबल ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की गयी राशि का विवरण भी सम्मिलित है, के आधार पर सब्सक्राईबर की संख्या निश्चित करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

14. राजस्थान कर बोर्ड की सम्मानीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2252/2011 आदि वाणिज्यिक कर अधिकारी कोटा बनाम मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाइट प्रा0 लि0 कोटा निर्णय दिनांक 18.08.2017 में भी यह अवधारित किया है कि ऐसे मामलों में कर दायित्व बनता है तथा उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

लगातार.....6

15. फलतः इस विधिक बिन्दु पर कि व्यवहारी कम्पनी मनोरंजन कर की धारा 4एए के तहत कर दायित्वाधीन है, पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है। अपील संख्या 306/2014 से 314/2014 जो व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उन्हें अस्वीकार कर विभाग के पक्ष में किये गये अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। इस तरह समस्त मामलों में व्यवहारी को मनोरंजन कर के तहत दायित्वाधीन माना जाता है एवं उपरोक्त सभी प्रकरणों में वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या का निर्धारण व्यवहारी की बहियात, सेन्ट्रल एक्साईज में प्रस्तुत रिटर्न एवं केबल ऑपरेटर्स द्वारा किये गये भुगतान में औसत राशि का भाग देते हुए निर्धारित करने के निर्देश के साथ उपरोक्त सभी प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्तानुार प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य